



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012025-260329  
CG-DL-E-18012025-260329

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946

No. 320]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/PAUSHA 27, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2025

**का.आ. 322(अ).**—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के साथ पठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नानुसार और संशोधन करती है, नामतः-

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में, उपशीर्षक "डिग्री" के तहत, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबंधित क्रम संख्या 75 में, कॉलम(1) के अंतर्गत मद संख्या (viii) के पश्चात और तत्संबंधी प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामतः-

विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
“(ix) एमबी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, राजस्थान	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एवं ए.एच. [यह अर्हता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी जब यह 10 जून, 2026 को या उसके बाद प्रदान की जाएगी।]”

[फा. सं. के-12052-6/9/2017-एलएच]

रामा शंकर सिन्हा, संयुक्त सचिव

**नोट:** भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची को अंतिम बार भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3425(अ) दिनांक 28 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry And Dairying)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2025

**S.O. 322(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “Degrees”, against serial number 75, relating to Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner after item number (viii) under column (1) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be inserted, namely: -

University or veterinary institution	Recognised veterinary qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
“(ix) M.B. Veterinary College, Dungarpur, Rajasthan	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. [This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 10 <sup>th</sup> June, 2026.]”

[F. No. K-12052-6/9/2017-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Jt. Secy.